फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी :– श्री गणेशलाल **विपक्षी :– श्रीमती संतोष**

किस्म मुकदमा – 53,188 रा.का.अ. **पत्रावली संख्या : 176/22**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 03.08.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा पीडी पालना पर सहमत होकर अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहुलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः उभय पक्षकारान सहमत होने से वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। वादीगण से बंटवाडा शुल्क 100/– अक्षरे एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे।

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा आसोलियान की मादडी पटवार हल्का बोयणा की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैं :–

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	लीलादेवी पत्नी हीरालाल ब्राहम्ण नि. 47 मैन रोड सविना उदयपुर खा.	1433/329/2	0.5989	बंजड	1.99
	योग	**किता 1**	**0.5989**	–	**1.99**
2	गणेशलाल पिता हीरालाल ब्राहम्ण नि. 47 मैन रोड सविना उदयपुर खा.	1433/329/1	0.3238	बंजड	1.08
	योग	**किता 1**	**0.3238**	–	**1.08**
3	सन्तोष पत्नी मदन ब्राहम्ण नि. 261/20 खेरजमाता मन्दिर मढ रोड सविना उदयपुर खा.	1433/329 मी.	0.2428	बंजड	0.81
	योग	**किता 1**	**0.2428**	–	**0.81**

नोट– उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:39:48 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 176/22 (वाद) GCMS No. : 2022/454

उनवान

1. श्री गणेशलाल पिता हीरालाल औदिच्य निवासी सविना तह. गिर्वा।
2. श्रीमती लीला देवी पत्नी हीरालाल औदिच्य निवासी सविना तह. गिर्वा दोनो के अधिकार गृहिता कैलाशसिंह पिता शम्भुसिंह राव निवासी आसोलियान की मादडी तह. मावली।

................वादीगण

बनाम

1. श्रीमती संतोष पत्नी मदनलाल औदिच्य निवासी 261/20 खेरज माता मंदिर मठ रोड सविना तह. गिर्वा।
2. श्री पूरणसिंह पिता गमेरसिंह राव निवासी खाम की मादडी हाल पुराना बस स्टेण्ड के पीछे मावली तह. मावली।
3. उप पंजीयक महोदय, मावली तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03.08.2023 को श्रीकान्त व्यास, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि मौजा आसोलियान की मादडी पटवार हल्का बोयणा की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :–

क्र.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	लीलादेवी पत्नी हीरालाल ब्राहम्ण नि. 47 मैन रोड सविना उदयपुर खा.	1433/329/2	0.5989	बंजड	1.99
	योग	**किता 1**	**0.5989**	–	**1.99**
2	गणेशलाल पिता हीरालाल ब्राहम्ण नि. 47 मैन रोड सविना उदयपुर खा.	1433/329/1	0.3238	बंजड	1.08
	योग	**किता 1**	**0.3238**	–	**1.08**
3	सन्तोष पत्नी मदन ब्राहम्ण नि. 261/20 खेरजमाता मन्दिर मढ रोड सविना उदयपुर खा.	1433/329 मी.	0.2428	बंजड	0.81
	योग	**किता 1**	**0.2428**	–	**0.81**

नोट–उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 03.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:39:48 IST
Reason: SelfAttested